प्रारूप–(ख)

[देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)]

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (जिला कलक्टर) श्रीगंगानगर

क्रमांकः– एफ 12 (3) (44) राजस्व/2019/2690 दिनांकः– 14-09-2020

-: संपरिवर्तन आदेश :–

प्रार्थी श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री राम करण जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर हाल 2 डी.ओ. ए भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	कृष्णलाल पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर हाल 2 डी.ओ. ए भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
(क)	ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	चक 2 डी.ओ.बी ग्राम पंचायत 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ
(ख)	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में)	पत्थर नं. 4/37 मुरब्बा नं. 19 किला नं. 23/1 (0.190) हैक्टर (1900 वर्गमीटर)
(ग)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में)	पत्थर नं. 4/37 मुरब्बा नं. 19 किला नं. 23/1 (0.190) हैक्टर (1900 वर्गमीटर)
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	10/–रूपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करवायी गयी प्रीमियम की रकम	ई–चालान जीआरएन 36162612 दिनांक 19.12.2019 द्वारा 20300/–रूपये राजकोष में मद 0029–00–800–07–02 में जमा कराये
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो तो	नहीं

—2—

Scanned by CamScanner

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :—

1. उपर्युक्त अकृषिक [वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प)] प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहत प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस (IRC) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व ग्रेफ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सडक मार्ग के मध्य बिन्दु से सडक सीमा की निर्धारित दूरी 87 फुट छोडते हुए उसके बाद निर्माण कार्य करना होगा। भविष्य में सडक की चौडाई बढाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे से हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जावेगा।
6. भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 79 व 80 की शर्तो के अनुसार निर्माण किया जावेगा।
7. आवेदक सडक एवं उक्त संपरिवर्तित भूमि के मध्य निर्धारित खाले से सिंचाई पानी के बहाव में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु आवेदक बाध्य होगा।
8. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं राज्य सरकार/संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों/आदेशों में वर्णित प्रावधानों/मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवेदक बाध्य होगा।
9. उपर्युक्त सभी शर्तो की पालना करने हेतु आवेदक बाध्य होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र में अंकित किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने पर बिना सुनवाई आदेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वंय जिम्मेदार होगा।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांकः– एफ 12 (3)(44) राजस्व/2019/2691-96
दिनांकः–14-09-2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ
2. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संपरिवर्तित भूमि का शर्तो के अध्यधीन नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर नामान्तरकरण व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन अनूपगढ शाखा खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर
4. उप पंजीयक, राजियासर तहसील सूरतगढ
5. सरपंच, ग्राम पंचायत 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ
6. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री राम करण जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर हाल 2 डी.ओ. ए भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
7. रक्षित पत्रावली

14/9/2020

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कमरा नं. 15, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट परिसर, श्रीगंगानगर–335001 दूरभाष नं. 0154–2445222, 2440988 (फैक्स) ई–मेल dm-gan-rj@nic.in

Scanned by CamScanner